खण्ड 9 संख्या 6

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 17 मार्च, 1983 ।

विषय सूची ।

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 16, 17, 18 ..	1—8
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 560, 593 ।	9—25
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) ..	27—83
दैनिक निबंध	85—86

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

अपेक्षित पदों पर प्रोन्नति ।

20. सर्वश्री विजय कुमार सिंह, राम विलास मिश्रा, धर्मेश प्रसाद वर्मा—क्या मंत्री, पशुपालन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पशुपालन सेवा के वर्ग-3 के पशु चिकित्सकों के स्वीकृत 332 प्रवर कोटि के पदों का जो वर्ग-2 (कनीय कोटि) में संविलियन किया गया था, को दिनांक 1 जनवरी, 1980 से तीन वार्षिक चरणों में वर्ग-2 (वरीय कोटि) में संविलियन करने का निर्णय ज्ञाप संख्या-2, पटना, दिनांक 12 जनवरी, 1980 के द्वारा लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय के आधार पर बिहार पशुपालन सेवा के उच्चत्तर स्तरों के पदों में दि० 1 जनवरी, 1980 से तीन वार्षिक चरणों में शरण सिंह समिति के अनुशंसानुसार 15 प्रतिशत, 3 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत के आधार पर पदोन्नति देना अनिवार्य था;

(3) क्या यह बात सही है कि पशुपालन सेवा के इन उच्चत्तर स्तरों के पदों पर प्रोन्नति का प्रस्ताव देने हेतु जनवरी, 1980 में मंत्री, पशुपालन, राज्य मंत्री, पशुपालन, आयुक्त, पशुपालन एवं संयुक्त सचिव, बिहार के आदेश के बावजूद विभाग द्वारा प्रोन्नति नहीं दी गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आदेश का पालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने तथा उक्त अपेक्षित पदों पर प्रोन्नति कब तक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्री मिश्री सदा—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्यादेश संख्या 121, दिनांक 12 जनवरी, 1980 की कंडिका (1) के अनुसार प्रवर कोटि के 332 पदों एवं पदाधिकारी को तीन वार्षिक चरणों में बिहार पशुपालन सेवा वर्ग-2 (वरीय कोटि) में संविलयन किए जाने के उपरान्त ही उपर्युक्त राज्यादेश की कंडिका-2 के अनुसार इन उच्चत्तर पदों पर प्रोन्नति देनी थी । अब चूंकि कंडिका (1) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 958, दिनांक 5 फरवरी, 1983 के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है ।

अतः इसी आधार पर राज्यादेश की कंडिका-2 के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(4) खण्ड (3) के उत्तर के आलोक में किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का कोई प्रश्न नहीं उठता है। शीघ्र इस सम्बन्ध में प्रोन्नति सम्बन्धी कार्रवाई की जायगी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष का चुनाव।

539. श्री म० इलियास हुसैन—क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के डिहरी नगरपालिका के विधिवत् चुनावों परान्त आजतक चेयरमैन का चुनाव नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नगरपालिका में चेयरमैन के नहीं रहने के कारण विकास कार्य ठप्प है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव कराकर विकास कार्य में सुधार लाना चाहती है, यदि हां, तो कबतक ?

श्री लहटन चौधरी—(1) उत्तर नकारात्मक है। डिहरी डालमियानगर नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव दिनांक 22 फरवरी, 1983 को विधिवत सम्पन्न हो गया है।

(2 (एवं) 3) उपर्युक्त प्रश्न के खण्ड (1) के उत्तर को देखते हुये खण्ड (2) एवं (3) का प्रश्न नहीं उठता है।

योजना का कार्यान्वयन।

540. राम लषण राम 'रमण'—क्या मंत्री, लघु सिंचाई विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड के दोस्तपुर तुरकाहा चौर से पानी निकासी योजना का सर्वेक्षण कर प्राक्कलन तैयार किया गया है, यदि हां, तो जल निकासी योजना का कार्यान्वयन सरकार कबतक करना चाहती है ?

श्री रमेश झा—प्रस्तावित योजना का प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) मधुबनी को दिनांक 6 जून, 1982 को भेजा